

3- प्रबंधक मण्डल का कोई भी सदस्य उस दता में सदस्य नहीं रह सकेगा यदि उसकी मृत्यु हो जाय या त्याग-पत्र दे दे, विधिवत हो जाये, दिवालिया निर्णय कर दिया जाय अपना सचिव को लिखित रूप में सूचित किये बिना लगातार तीन बैठकों में भाग न ले।

4- कोई भी सदस्य यदि अपना पद त्यागना चाहे तो त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है, तथा वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने की तिथि से प्रभावशील होगा। इस प्रकार रिक्त होने वाले स्थान की पूर्ति नियम अन्वयि के लिए राज्य शासन कर सकेगा।

स) प्रबन्धक मण्डल की बैठक

क- राज्यशासन के मंत्री-उच्च शिक्षा, प्रबन्धक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ख- प्रबंधक मंडल की बैठकें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार होंगी किन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि आवश्यकता अनुभव होने पर अपना प्रबंधक मंडल के कम से कम 3 सदस्यों की प्रार्थना पर प्रबंधक मंडल को विशेष बैठक बुलाये।

ग- प्रबंधक मंडल की बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। उपस्थिति के अभाव में बैठक आगे बढ़ने के लिए स्थगित कर, बैठक की कार्रवाई पुनः प्रारम्भ की जा सकेगी।

घ- प्रत्येक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा। विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देना आवश्यक होगा।

ङ- प्रत्येक सदस्य एवं अध्यक्ष का एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मतदान की स्थिति में बराबर

मत होने तब अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का उपयोग करेंगे।

च- किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने पर बहुमत मान्य होगा।

छ- अकादमी के संचालक बैठक की कार्रवाई का विवरण तैयार करेंगे, उस विवरण की पुष्टि अध्यक्ष से प्राप्त कर उसे सदस्यों को भेजेंगे।

द) प्रबंधक मण्डल के कार्य एवं अधिकार

क- अकादमी के तथ्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप नीति निर्धारण और इन नीतियों के कार्यान्वयन पर सामान्य नियंत्रण।

ख- आवश्यकतानुसार व्यापारतीय कार्रवाई के संबंध में उचित निर्णय लेने, अकादमी की बल्पाई संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की स्वीकृति।

ग- अकादमी के विघटन के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति।

घ- कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट पर विचार करना एवं उनकी स्वीकृति।

ङ- अकादमी के कार्य तथा प्रशासन संचालन के लिए निर्देश।

च- अकादमी के आय-व्यय पत्रक एवं आय-व्यय विवरण पत्रक (बैलेन्स शीट) के परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षक की नियुक्ति।

छ- कार्यसमिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-योजनाएँ एवं योजनाओं पर विचार कर उनकी स्वीकृति तथा पूर्व में लिए गये निर्णयों की पुष्टि।

ज- अकादमी के लिए नये पदों का निर्माण एवं कामिनी नीति का निर्माण।

50



कार्यालय मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

रवोन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल दूरभाष : (0755) 2553084, 2762123

परिशिष्ट ब

क्रमांक :/स्था./हि.ग्रं.अ./2020

दिनांक :

माननीय जिला न्यायालय भोपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के विरुद्ध दायर याचिकाएं।

क.	याचिका क्रमांक	विरुद्ध	रिमाग
1	9048/2008	श्री कुजाम सिंह बाडीवा विरुद्ध मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं अन्य	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
2	WP 9291/2019	श्री मुकेश चौधरी विरुद्ध मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं अन्य	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
3	WP8549/2019	श्री मुकेश चौधरी विरुद्ध मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं अन्य	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
4	WP9075/2019	श्री खोरबहरा राम सोरी विरुद्ध मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं अन्य	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
5	9225/2012	श्री सौरभ दीक्षित, श्री सुरेश मेहतो विरुद्ध मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	माननीय जिला न्यायालय भोपाल


संचालक

(९)